न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 76/2023 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 किशनलाल पिता छोटू जाट उम्र–वयस्क निवासी तस्वारिया बांसा तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा

2 नोसर उर्फ नोसी पुत्री धन्ना जाट उम्र–वयस्क निवासी तस्वारिया बांसा तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा

3 महादेव पिता धन्ना जाट उम्र–वयस्क निवासी तस्वारिया बांसा तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा

4 शंकरलाल पिता रूपा जाट उम्र–वयस्क निवासी तस्वारिया बांसा तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा

5 सोजीराम पिता धन्ना जाट उम्र–वयस्क निवासी तस्वारिया बांसा तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा

.... प्रार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फूलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

..... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्री शिवराज शर्मा ——प्रार्थीगण अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

<u>निर्णय</u>

दिनांक 30.08 2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 04.05.2023 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार ग्राम तस्वारिया बांसा पटवार मण्डल तस्वारिया बांसा तहसील फुलियाकलां की सरहद में स्थित आराजी संख्या 3123 प्रार्थीगण के संयुक्त मालिकाना हक में सहखातेदारी अधिकारों से दर्ज अभिलिखित है, एवं प्रार्थीगण स्वयं की सहखातेदारी भूमि में आने जाने का कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजीयात तक पहुंचना पडता है। प्रार्थीगण वर्षो से अप्रार्थी भूस्वामी की ग्राम तस्वारिया बांसा स्थित बिलानाम आराजी संख्या 3115 भूमि में से होकर आते जाते रहे है, परन्तु अब भूस्वामी तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा रूकावट उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीगण ने विपक्षी भूमिधारी की बिलानाम आराजी संख्या 3115 में से 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की सहखातेदारी खसरे में पहुंच हेतु अप्रार्थी के हक स्वामित्व की बिलानाम आराजी संख्या 3115 में से 20 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 30.05.2023 को बाद जांच, दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी का प्रस्ताव भिजवाया जावें। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा मौका रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसे रेकार्ड पर लिया गया।

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा प्रस्तुत नवीन रास्ता कायमी बावत रिपोर्ट का अवलोकन/परीक्षण किया गया, जिसमें ग्राम तस्वांरिया बांसा पटवार हल्का क्षेत्र तस्वारिया बांसा स्थित विपक्षी भूमिधारी की बिलानाम आराजी संख्या 3115 में से 0.0329 हैक्टे. (20 फीट बाई 177 फीट/3540 वर्गफीट) भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। दूसरी ओर विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार की ओर से ऐसा कोई खण्डन/प्रतिरोध स्वरूप दस्तावेजी साक्ष्य/तर्क पत्रावली में प्रस्तुत नही कराया गया है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि–

1. रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता :– प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नही है एवं न ही अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग मौजूद है।
2. रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक में यह स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण के आवागमन के लिहाज से सबसे निकटतम व सुगमतम है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें व रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। राजकीय भूमि कम से कम रकबा प्रभावित हो इस पर मनन करने के पश्चात तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त प्रतिवेदन के मुकाबले प्रार्थी को 20 के स्थान पर 15 फीट चौडाई का नवीन मार्ग ही उपलब्ध कराया जाना न्यायालय पर्याप्त एवं आवश्यक मानता है।

अतः ग्राम तस्वारिया बांसा पटवार हल्का क्षेत्र तस्वारिया बांसा स्थित विपक्षी भूमिधारी की बिलानाम आराजी संख्या 3115 में से 0.0247 हैक्टे. (15 फीट गुणा 177 फीट/2655 वर्गफीट) नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय उचित मानता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम तस्वारिया बांसा पटवार हल्का क्षेत्र तस्वारिया बांसा तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा स्थित विपक्षी भूमिधारी की बिलानाम आराजी संख्या 3115 में से 0.0247 हैक्टे. (15 फीट गुणा 177 फीट/2655 वर्गफीट) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा रास्ता (सार्वजनिक उपयोग हेतु) कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल–दरामद तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा किया जावें।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थीगण द्वारा तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.0247 हैक्टेयर मालियत राशि की दौगुनी राशि 9,753/– रूपये (0.0247 हैक्टयर की) राज्य कोष को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 30 . 08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला शाहपुरा

Scanned with OKEN Scanner